कार्यालय नगर पंचायत रेवती, बलिया

पत्रांकः 107(4)/न0पं0रे0/नीलामी सूचना/वर्ष 2014–15

दिनांकः07 मार्च 2015

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत रेवती, जनपद बलिया के पार्किंग शुल्क (टैक्सी स्टैण्ड) ठेका वर्ष 2015--16 की नीलामी 25 मार्च, 2015 को 11 बजे से कार्यालय नगर पंचायत रेवती में की जायेगी। यदि उक्त तिथि को नीलामी नही हो सकी तो 26 मार्च, 2015 को 11 बजे से होगी।

अतः पार्किंग शुल्क/टैक्सी स्टैण्ड का ठेका वर्ष 2015–16 को लेने वाले व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर ठेका नीलामी में भाग ले सकते है।

ठेका नीलामी की शर्ते

1. ठेके की अवधि 01–04–2015 से 31–03–16 तक होगी।
2. ठेका नीलामी में भाग लेने के पूर्व बोली दाताओं द्वारा रूपया 50,000.00 (पच्चास हजार रू0) नगद जमा कर भाग लिया जा सकता है।
3. बोली दाता को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके नाम हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र होगा वही व्यक्ति एक सहयोगी के साथ नीलामी में भाग ले सकता है।
4. बोली दाता नगर पंचायत रेवती का बकायेदार नही होना चाहिये।
5. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/नीलामीकर्ता अधिकारी द्वारा उच्च बोली स्वीकृति के पश्चात् सम्पूर्ण नीलामी धनराशि का पच्चास प्रतिशत धनराशि जमा नही करता है तो जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। शेष धनराशि समान किस्तो में 30 सितम्बर 2015 तक करना होगा। यदि इस तिथि तक जमा नही किया जाता है तो नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
6. ठेकेदार को ठेके की वसूली, उपविधि में निर्धारित दर से करनी होगी।
7. ठेकेदार को नगर पंचायत के पक्ष में अपने व्यय से शासन द्वारा निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करते हुये दिनांक 31–03–2015 तक जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अनुबन्ध के वसूली आदेश (01–04–2015 से सम्बन्धित) निर्गत नही किया जायेगा।
8. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/नीलामीकर्ता अधिकारी का अधिकार होगा कि नीलामी की किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त अथवा स्थगित कर सकते है तथा किसी भी नियम एवम् शर्तो को शिथिल, नगर पंचायत के हित में कर सकते है।
9. शेष अन्य नियम एवम् शर्ते किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

नोट– समस्त नीलामी की कार्यवाही कार्यालय नगर पंचायत रेवती, बलिया में सम्पन्न होगी।

(कृष्ण कुमार सोनकर)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया

J. Pandey
(जयश्री पाण्डेय)
अध्यक्ष
नगर पंचायत रेवती
बलिया

संख्या एवम् दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, बलिया।
3. जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित की कृपया आप उपरोक्त सूचना का प्रकाशन किसी दो दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित कराकर, प्रकाशित समाचार पत्र की अतिरिक्त एक प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु कार्यालय नगर पंचायत रेवती में भेजवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक, एन.आई.सी. विकास भवन बलिया को जिले की बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. कार्यालय नगर पंचायत रेवती को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

(कृष्ण कुमार सोनकर)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रेवती
बलिया